

# कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

## झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com

Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक :- ०१/यो०ब०/अनु०झा०चि०प्रा०-२३/२०१५-७३७

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
वन्य प्राणी प्रमंडल, राँची।

दिनांक :- २५/०५/२०१६

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2016-17 में झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) को रु० 500.00 लाख (पाँच करोड़ रुपये) मात्र की राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन के संबंध में।

**प्रसंग :-** विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-०४/यो०बजट-०९/२०१०-०१/स्वी० व०प० दिनांक 29.04.2016 एवं आवंटन आदेश संख्या-०४/यो०बजट-०९/२०१०-३५/आ० व०प० दिनांक 30.04.2016।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के लिए कुल रु० 500.00 लाख (पाँच करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्राप्त राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-०४/यो०बजट-०९/२०१०-०१/स्वी० व०प० दिनांक 29.04.2016 एवं आवंटन आदेश संख्या-०४/यो०बजट-०९/२०१०-३५/आ० व०प० दिनांक 30.04.2016 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	"2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप-मुख्य शीर्ष 01-वानिकी, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 52-“झारखण्ड राज्य चिड़ियाघर प्राधिकरण को अनुदान”	79-सहायता अनुदान सामान्य इकाई	19P240602796020101	500.000
कुल आवंटित राशि				500.000

अर्थात् कुल रु० 500.00 लाख (पाँच करोड़ रुपये) मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

2. वर्तमान आवंटित राशि 500.00 लाख (पाँच करोड़ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप-मुख्य शीर्ष 01-वानिकी, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष 52-“झारखण्ड राज्य चिड़ियाघर प्राधिकरण को अनुदान” अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

4. झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण को विशेष परिस्थिति में त्रैमासिक आधार पर राशि की निकासी कर केवल उतनी ही राशि को बैंक खाते से संचालित करने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति इस शर्त के साथ दी गई है कि राशि की समाप्ति होने पर ही पुनः कोषागार से राशि की निकासी कर बैंक खाता के माध्यम से संचालित की जायगी।

5. सदस्य सचिव, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा प्राप्त राशि का व्यय, लेखा-संधारण, अंकेक्षण, राशि का प्रत्यर्पण आदि वित्तीय प्रक्रियाओं का अनुपालन सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय मापदंड/निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

प्राधिकरण को दी गई राशि/अनुदान राशि का अनुश्रवण एवं नियमानुसार समुचित कार्रवाई करने का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी-सह-मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का होगा।

6. इस राशि का व्यय प्राधिकरण के प्रशासी निकाय द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप ही किया जाएगा। योजनाओं का क्रियान्वयन प्रशासी निकाय से स्वीकृत करने के उपरांत सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जाएगा तथा अभिलेख हेतु एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित की जाएगी।

7. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

8. प्रस्तावित कार्यों के लिए किसी भी अन्य स्त्रोत से करने के लिए राशि की मांग नहीं की जाएगी। यह जिम्मेवारी सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्राधिकरण को होगी।

9. सामग्रियों का क्रय तथा निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन नियमानुसार निविदा के आधार पर किया जायेगा।

10. प्राधिकरण में वित्त विभाग के प्रतिनिधि अवश्य रहेंगे और सभी व्यय सक्षम प्राधिकरण से आदेश प्राप्त कर किये जायेंगे।

11. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची होंगे। निकसी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

12. मजदूरों का मजदूरी भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. सदस्य सचिव, झारखण्ड प्राधिकरण के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

15. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर एतद संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जाएगी।

16. परियोजना के कार्यान्वयन में अनुदानित राशि का व्यय संगत वित्त नियमावली के आलोक में वास्तविकता के आधार पर किया जाएगा, जो स्वीकृत राशि के अंतर्गत होगी तथा राशि का विचलन किसी अन्य कार्य में नहीं किया जाएगा एवं उपयोगिता प्रमाण—पत्र समर्पित करना होगा।

17. स्वीकृत योजना के सफल कार्यान्वयन तथा ससमय उपयोगिता प्रमाण—पत्र सरकार को समर्पित करने का उत्तरदायित्व सदस्य सचिव, झारखण्ड चिडियाघर प्राधिकरण पर होगा।

सदस्य सचिव, झारखण्ड चिडियाघर प्राधिकरण द्वारा मासिक भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन—सह—उपयोगिता प्रमाण—पत्र वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची को

उपलब्ध कराया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति अध्यक्ष, झारखण्ड चिडियाघर प्राधिकरण को समर्पित की जायेगी।

18. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं0-300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

21. इस योजना के अन्तर्गत किये गये ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

अनुलग्नक :— यथोक्त/

विश्वासभाजन,

25/5/17-16

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची।

उपलब्ध कराया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण—पत्र की प्रति अध्यक्ष, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण को समर्पित की जायेगी।

18. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं0—300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत सुसंगत दिशा—निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

21. इस योजना के अन्तर्गत किये गये ऑन—लाईन उप आवंटन अनुलग्नक—1 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :— यथोक्त।

₹0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

झापांक :—01 / यो0ब0 / अनु0झाऽचिऽप्रा0—23 / 2015- 737 दिनांक :—25.05.2016

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ सदस्य सचिव, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।  


उपलब्ध कराया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण—पत्र की प्रति अध्यक्ष, झारखण्ड चिडियाघर प्राधिकरण को समर्पित की जायेगी।

18. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं0—300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत सुसंगत दिशा—निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से करना सुनिश्चित किया जायेगा।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

21. इस योजना के अन्तर्गत किये गये ऑन—लाईन उप आवंटन अनुलग्नक—1 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :— यथोक्ता।

₹0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—01 / यो0ब0 / अनु0ज्ञाऽचिऽप्रा0—23 / 2015- 737 दिनांक :—25.05.2016


प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ सदस्य सचिव, झारखण्ड चिडियाघर प्राधिकरण, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

₹0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—01 / यो0ब0 / अनु0ज्ञाऽचिऽप्रा0—23 / 2015- 737 दिनांक :—25.05.2016

प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।



झारखण्ड सरकार

## आवंटन आदेश

## झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/yb-23/2015/737

दिनांक -

25-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601796520679 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 52 - झारखण्ड राज्य चिडियाघर प्राधिकरण को अनुदान 06 - अनुदान 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	28776	DRNFWL049 KAMLESH PANDEY, IFS DFO,WILD LIFE DIVISION RANCHI	50,000,000.00 रुपये पौंछ करोड

योगः

क्रमिक योगः

रुपये पौंछ करोड

50,000,000.00

(SHRI Y.K.SINGH CHAUHAN (IFS))  
25/5/2016

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND